

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर य तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

31/05/22

पत्रावली पेश हुई। वकील आर्ची ठपन। विजयगिरि :
के नोरेस पूर्व में लगील गुदा प्राप्त होने के बावजूद
भी उन्हें उप- नहीं हुआ। उनके विरुद्ध एलवका
आर्चवाही कमल में लड़ि जाली है। वकील आर्ची
ने बहज सुनने का निवेदन किया। वकील आर्ची की
बहज सुनी गई। बहज पर मनन किया गया।
पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। पत्रावली
पर संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने से
उत्तीर होता है कि आर्ची का निवेदन स्वीकार
करने योग्य है।

कल! नोरेसबंदी निर्णय अलग से लिखा
जाए। आर्चिल मिलल किया गया। पत्रावली फैसल
कुमार शेकर दाखिल दफ्तर है। देखना से आर्ची

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी 1. चिभड़ा पुत्र आदू जाति मेघवाल निवासी रते का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	बनाम	विप्रार्थीगण 1. इमामत पत्नी वालेना जाति मुसलमान निवासी एकल 2. बावली पत्नी अचला 3. श्रृंगारी पत्नी गंगाराम 4. गुणेशा पुत्र महेन्द्रा 5. रतना पुत्र महेन्द्रा 6. हवली पत्नी नरसा जातियान मेघवाल 7. मुकेश पुत्र रूपाराम 8. नवला पुत्र रूपाराम जातियान जाट निवासी रते का तला (नवातला बाखासर) तहसील सेड़वा। 9. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा।
---	-------------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
 राजस्व आवेदन संख्या 03/2019 दिनांक : 31.05.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू. अभिलेख निरीक्षक सारला के मौजा रते का तला के खेत खसरा संख्या 299/4 रकबा 31.11 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्र.सं./मू.अ./2022/550-56

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी चिभड़ा पुत्र आदू।
3. विप्रार्थीगण इमामत पत्नी वालेना वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

(रामजी भाई कलबी)
 उपखण्ड अधिकारी
 (SDO) सेड़वा

दिनांक 07/06.2022

(रामजी भाई कलबी)
 उपखण्ड अधिकारी
 (SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 03/2019 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

चिभड़ा बनाम इमामत वगैरा

पीठासीन अधिकारी — श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील — मोहनलाल खिलेरी

निर्णय

दिनांक — 31.05.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि मैं तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू अभिलेख निरीक्षक सारला के मौजा रते का तला के खेत खसरा संख्या 299/4 रकबा 31.11 बीघा किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू अभिलेख निरीक्षक सारला के मौजा रते का तला के खेत खसरा संख्या 299/4 रकबा 31.11 बीघा किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रुबरु किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रुबरु विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसराओं की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की स्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा